कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, फोन/फैक्स : 01376-232077,
टिहरी वन प्रभाग, ई:मेल :
नई टिहरी। dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2135 /12-1(2) नई टिहरी, दिनांक- 02/04/ 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः— **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना।**
(ऑन लाईन वनभूमि प्रस्ताव सं0—FP/UK/WATER/29879/2017)

सन्दर्भः— भारत सरकार कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांकः—28—02—2018।

महोदय,

भारत सरकार कार्यालय द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल सं0—11—360/2016—एफ0सी0, दिनांकः—17 नवम्बर, 2016 **(संलग्नक—01)** में दिये गये निर्देश के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल हार्ड प्रति भारत सरकार को प्राप्त कराने के उद्देश्य से लगाई गई आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांकः—469/107/29, दिनांकः—08—03—2018 **(संलग्नक—02)** से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पांच हार्ड प्रतियों में उनके कार्यालय पत्रांकः—2039/107/52, दिनांकः—27—11—2017 **(संलग्नक—03)** से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कर दी गई थी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव चार (03 मूल प्रति एवं 01 छाया प्रमाणित प्रति) हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांकः—1055/12—1(2), दिनांकः—12—12—2017 **(संलग्नक—04)** से आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी तथा आपके कार्यालय पत्रांकः—1066/12—1(2), दिनांकः—27—12—2017 **(संलग्नक—05)** से मूल तीन प्रतियों में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई हैं।

अतः प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल सं0—11—360/2016—एफ0सी0, दिनांकः—17 नवम्बर, 2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आख्या/निराकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नक—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

D/PK.Gen. Lattre.online part-ii

संलग्नक-01

F. No. 11-360/ 2016-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jorbagh Road New Delhi - 110 003
Dated: 17 November, 2016

To

The Principal Secretary (Forests),
All State /Union Territory Governments

Sub: **Guidelines regarding prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for all original documents of the all proposal with Ink Signature and stamp with relevant officer - reg.**

Sir,

I am directed to say that the State Government is forwarding proposals for diversion of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 without original documents. In many cases, it is observed that the case has been submitted with photo copies of major documents. It is therefore requested that henceforth all such proposals should have original documents. Photocopies shall not be accepted by the Ministry.

In case of loss of original documents the photo copy of the same may be accepted, provided by the same is authenticated from record by the issuing authority and submitted with the signature and under the official seal.

(Sandeep Sharma) 17-11-16
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Copy to:-

1. PS to Hon'ble Minister of State (I/C) for Environment, Forests and Climate Change.
2. Chairman, State Environment Impact Assessment Authority, all States/UTs.
3. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UTs.
4. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC),
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEFCC, GoI.
7. Member-Secretary, State Environment Impact Assessment Authority, all States/UTs
8. All Assistant Inspector General of Forests in the Forest Conservation Division, MoEFCC,

TO (F) 49

संलग्नक-02

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145

☎ कार्यालय :01376-255230 फैक्स :- 01376-255230

E-mail :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 469 / 107 / 29. दिनांक 8/3/18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषयः– **सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की वनभूमि प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस शाखा के पत्रांक 2039/107/52 दिनांक 27.11.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के वनभूमि प्रस्ताव की एक मूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय में तथा चार मूल प्रति एवं एक फोटो प्रति प्रभगीय वनाधिकारी वन प्रभाग टिहरी, कार्यालय में दिनांक 28.11.2017 को प्राप्त कराई जा चुकी है (पत्र की प्रति संलग्न)। अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कर्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।
पत्र की फोटो प्रति

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक-03

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145

☎ कार्यालय :01376-255230 फैक्स :- 01376-255230

E-mail :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 2039 / 107 / 52. दिनांक 27 / 11 /2017

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वनप्रभाग।

विषयः जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पे0यो0 के बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पे0यो0 के निमाण हेतु बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को इस शाखा द्वारा दिनांक 25.10.2017 को ऑनलाईन कर दिया गया था। नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके अनुपालन में उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- 01 प्रति हार्ड कापी

भवदीय,

o/c (आलोक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

Rec. 05 copy
28/11/2017

संलग्नक–04

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

फोन / फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 1055 /12-1(2) नई टिहरी, दिनांक– 12/12/ 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– सूरीधर ग्राम समहू पंम्पिग पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का प्रेषण। **(FP/UK/WATER/29879/2017)**

महोदय,

प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रभाग स्तर से पार्ट–2 की ऑन लाईन सूचनायें अंकित कर प्रस्ताव चार (04) हार्ड प्रतियों में (03 मूल प्रति एवं 01 छाया प्रमाणित प्रति) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : 1055 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

0/c

संलग्नक-05

email: cfbhagi-forest-uk@nic.in
फोन / फैक्स–0135–2431159,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक – / , दिनांक, मुनिकीरेती 27/12/2017 ।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **सूरीघार ग्राम समूह पंम्पिग पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का प्रेषण प्रस्तावक सं0–(FP/UK/WATER/29879/2017).**

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी का पत्रांक–1055 / 12–1(2) दिनांक–12.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के कम में सूरीघार ग्राम समूह पंम्पिग पेयजल योजना के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल प्रति मय तीन प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–तीन प्रतियाँ

भवदीय

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती

संख्या – 1066 / 12-1 (2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर न0 31 95
फाइल न0 12–1(2)
दिनांक 8/1/2018

G.C. (File)
8/1/18